प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
प्र0इ0रि0 सं. 207/2023 दिनांक 01/8/2023

2. (I) * अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**
धारायें **7**
(II) * अधिनियम **भा.दं.सं.** धारायें **384, 120 बी.**
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 08 समय 5:30 PM
(ब) अपराध घटने का दिन **बुधवार** दिनांक **14.06.2023**
*(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **14.06.2023** समय **01:15 पी.एम.**

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– **दक्षिण दिशा, लगभग 03.5 किमी.**
(ब) **मालवीय नगर, जयपुर**
........................बीट संख्या........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम **श्री अमर सिंह**
(ब) पिता/पति का नाम **स्व. श्री भूप सिंह**
(स) जन्म तिथी/वर्ष करीब ....**25 साल**........................
(द) राष्ट्रीयता . भारतीय........................
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय – **प्राईवेट पैथ लेब।**
(ल) पता– **निवासी वार्ड नं. 20, कृष्णा कॉलोनी, नगर, जिला भरतपुर हाल 9/804, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

1. **श्री नवीन कुमार हैड कानि. नं. 09, साईबर थाना श्रीगंगानगर**
2. **श्री इन्द्रजीत कानि. नं. 884, साईबर थाना श्रीगंगानगर**
3. **श्री राकेश कानि. नं. 1414 साईबर थाना श्रीगंगानगर**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :-....कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य **2,40,000** रूपये

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

महोदय,

निवदेन है कि कि दिनांक 14.06.2023 को परिवादी श्री अमर सिंह पुत्र स्व. श्री भूप सिंह जाति जाट, उम्र 25 साल, निवासी वार्ड नं. 20, कृष्णा कॉलोनी, नगर, जिला भरतपुर हाल 9/804, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर एक लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.यू. द्वितीय, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि "मेरा नाम अमर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह Ward No 20, कृष्णा कोलोनी नगर भरतपुर का रहने वाला हूँ मैं मालवीय नगर में पिछले 2020 से डॉक्टर लाल पैथ लैब का क्लेकसन सेन्टर चला रहा है। फरवरी माह में सियाराम और उसके दोस्त आये थे उन्होंने मुझसे ATM से पैसे निकलवाये 4–5 बार ATM का पैसा फ्रॉड का था उसमें CBCID 1 टीम ने मुझको और उनके साथियों को 5 अप्रेल को पकड लिया। वहां से 16 को जेल भेज दिया जहां से 3 मई को मुझको जमानत मिल गई। उसमें मुकदमा नं. 219/2023 उसके बाद 13.06.2023 को सुबह 7:45 पर 3 लोग आये जिसमें से एक ने वर्दि पहन रखी थी उनका नाम नविन था बाकी बिना वर्दि में थे वो मुझको जवहार सर्किल थाना ले गये और उसके गेट से हि मुजको नगर कांमा के लिए ले गये जिसमें गाडी में पेट्रोल और पुरा खर्चा मेरे अकाउन्ट से कराये फिर उन्होनें मुझसे 240000/--रूपये मांगे मुझे छोडने के तो मैने मेरे जीजा जी दोस्तो से रात को 8 बजे बाद पैसे डलवाये फिर होटल साथ ले गये और आज दिनांक 14.06.2023 को 20,000 कर्नाटका बैंक ATM और 30,000 चेक से पैसे निकलवाये जो ATM गिरधर मार्ग मालवीय नगर में है। उसके बाद PNB ATM से 38,000 निकलवाये जिनमें से 58,000 वो ले गये बाकी पैसा गाडी साथ साथ ले गये आकर पैसे लेके जायेंगे और गाडी दे जायेंगे। मैं इन लोगो को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता। अतः आप कार्यवाही करने की कृपा करे।" इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.यू. द्वितीय, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर ने मन् उप पुलिस अधीक्षक मांगीलाल को अपने कक्ष में बुलाया और श्री अमर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह जाति जाट, निवासी वार्ड नं. 20, कृष्णा कॉलोनी, नगर, जिला भरतपुर हाल 9/804, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर से मेरा परिचय करवाया एवं उसके द्वारा पेश एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन् उप पुलिस अधीक्षक को आवश्यक विधिक कार्यवाही करने का पृष्ठांकन कर सुपुर्द किया। इस पर मैं श्री अमर सिंह को साथ लेकर अपने कक्ष में आया और प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में पूछताछ की तो श्री अमर सिंह ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की और प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा ही लिखा जाना बताया। पूछताछ पर बताया कि मुझे मुकदमा नम्बर 219/2023 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर में मुझे गिरफ्तार किया था। इस मुकदमें का अनुसंधान सी.आई.डी.सी.बी. के द्वारा किया गया। मेरे से रिश्वत मांगने वालों में एक व्यक्ति राजस्थान पुलिस की हवलदार की वर्दी में तथा दो अन्य सादा कपडों में थे। ये लोग मुझे अपने आप को साईबर थाना श्रीगंगानगर से आना बता रहे थे। दिनांक 13.06.2023 को सुबह मुझे ये तीन लोग मेरी कार स्वीफ्ट आर.जे. 45 सी.आर. 6138 में पहले पुलिस थाना जवाहर सर्किल के सामने उसके बाद गांव पाडला पुलिस थाना खोह तथा नगर, डीग थाना इलाकों में लेकर गये थे। उसके बाद मुझे पुलिस थाना कामा के सामने लेकर गये थे, जहां पर मैं व दो पुलिसकर्मी गाडी में बैठे रहे थे तथा नवीन नाम का पुलिस कर्मी जो हवलदार की वर्दी में था, थाने के अन्दर गया था। थोडी देर बाद थाने की गाडी के साथ मुझे महेन्द्र की तलाश हेतु भुडाका गांव में लेकर गये थे। इसके बाद रात को करीब 09.00 बजे जयपुर मालवीय नगर आये थे। रास्ते में आते समय तीनों ने मेरे से शुरू में 4.5 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की नहीं तो मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी। इसके बाद मेरे द्वारा कम करने की कहने पर 2 लाख 40 हजार रूपये लेने को राजी हुए। इसके बाद मेरे कोटक महिन्द्रा बैंक के ए.टी.एम. से पैसे निकलवाने हेतु मुझे सिन्धी कैम्प के पास और वैशाली नगर लेकर गये थे। उसके बाद मालवीय नगर में महावीर रबडी भण्डार, गिरधर मार्ग पर खाना खाया था जिसका भुगतान मेरे द्वारा पे-टीम से किया गया था। इसके बाद टोंक रोड पर सांगानेर पुलिया से आगे सम्राट होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट में करीब 12.48 ए.एम. पर पहुंचे थे, जहां पर 1500 रूपये में एक कमरा किराये पर लिया था, जिसका 1200 रूपये नगद व 300 रूपये पे-टीम से

भुगतान मैनें ही किया था। इन लोगों ने रात को मुझे भी उसी कमरे में रखकर नीचे सुलाया था। इसके बाद मैंने आज सुबह करीब 09:00 बजे 20 हजार रूपये मेरे कर्नाटका बैंक गिरधर मार्ग, मालवीय नगर जयपुर के ए.टी.एम. से व 38 हजार रूपये पी.एन.बी. ए.टी.एम. सत्कार शॉपिंग सेन्टर, मालवीय नगर, जयपुर से करीब 08.40 ए.एम. पर निकाल कर उनको दिये थे। इसके अलावा मैंने 30 हजार रूपये मेरे कर्नाटका बैंक गिरधर मार्ग, मालवीय नगर जयपुर से निकालकर दिये थे। मेरे द्वारा बैंक व ए.टी.एम. से रूपये निकालते समय गाडी साईड में खडी करने के बाद उनमें से एक आदमी मेरे साथ ए.टी.एम. के गेट के पास तक साथ जाता था। इसके बाद मुझे कहा कि शाम तक एक लाख रूपये में से बाकी के 42 हजार रूपये की व्यवस्था कर लेना, हम 42 हजार रूपये लेकर आपकी गाडी दे जायेंगे। इसके बाद ये लोग मेरी गाडी सफेद रंग की स्वीफ्ट आर.जे. 45 सी.आर. 6138 को लेकर चले गये। ये लोग टोंक रोड पर सांगानेर पुलिया से 200 मीटर आगे बांई तरफ सम्राट होटल में रूके हुए हैं और वही पर मेरे गाडी खडी कर रखी हैं। इन लोगों से मेरी कोई रन्जिश या लेन-देन नहीं हैं। ये लोग मेरे से मेरी लेब से पैसे लेकर जायेगें उसी समय मेरी कार देकर जायेंगें। अभी मेरे से 1 लाख 80 हजार रूपये रिश्वत में और मांग रहे हैं और नहीं देने पर मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। इन लोगों ने मेरे लेब के मोबाईल नम्बर 9929857372 की सिम को मेरे पर्सनल मोबाईल तथा मेरे पर्सनल मोबाईल नम्बर 9057857372 की सिम को मेरी लेब के साधारण मोबाईल में लगवा दी थी तथा मुझे कहा था कि आप इन दोनों मोबाईल को लेब पर रखना तथा कही लेकर मत जाना। मेरे मोबाईल में मेरे लेब के मोबाईल नम्बर 9929857372 से उन्होनें ही वाट्सअप बिजनिस ऐप डॉउनलोड कर कर चालू किया था। इन लोगो ने मुझे अपने वाट्सअप मोबाईल नम्बर 8504898267 तथा दो अन्य मोबाईल नम्बर 9460969240 एवं 9649889290 बताये थे। मुझे यह भी कहा है कि अभी वाट्सअप बिजनिस से ही बात करना। मजमून रिपोर्ट से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद दिनांक 14.06.2023 को समय 02:00 पी.एम. पर श्री रिजवान अहमद कानि. नं. 167 को बुलाकर परिवादी श्री अमर सिंह एवं श्री रिजवान अहमद का आपस में परिचय करवाया। एक सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में एक नया मेमोरी कार्ड लगाकर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने व बन्द करने के बारे में बताया गया। सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री रिजवान अहमद कानि. को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि अभी परिवादी के साथ जाये और परिवादी की लेब पर संदिग्धों के आने से पहले डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करें। परिवादी को भी हिदायत की गई कि गोपनीयता बनाये रखे और संदिग्धों से रिश्वत राशि कम करने के संबंध में वार्ता करें। इसके बाद परिवादी व श्री रिजवान अहमद को रवाना किया गया। दिनांक 14.06.2023 को समय 07:10 पी.एम. पर श्री रिजवान अहमद कानि. ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि एक संदिग्ध परिवादी की गाडी आर.जे. 45 सी.आर. 6138 लेकर उसकी लेब पर करीब 07:00 पी.एम. पर आया था जो परिवादी को गाडी में बिठाकर ले गया हैं। मैंने मेरी मोटरसाईकिल से पीछा किया तो वो लोग गलियों में ओझल हो गये हैं। इस पर श्री रिजवान अहमद को परिवादी की लेब के आस-पास ही रहने की हिदायत की गई। दिनांक 14.06.2023 को समय 09:50 पी.एम. पर श्री रिजवान अहमद कानि. ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि परिवादी आ गया हैं और करीब आधा घण्टा बाद संदिग्ध परिवादी को लेकर लेब के पास ही उसके मकान के सामने आये थे उस समय परिवादी रिकॉर्डर अपने कमरे पर छोड गया था। परिवादी से संदिग्धों में 42 हजार रूपये की मांग की हैं, जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं। परिवादी को संदिग्धों ने कल सुबह करीब 10 11 बजे रूपयों की व्यवस्था होने पर ओके सर का मैसेज करने के लिए कहा हैं और कहा है कि जैसे ही मैसेज करेगा तो हम आ जायेगें या आपको लोकेशन बता देंगें। श्री रिजवान अहमद ने परिवादी श्री अमर सिंह से भी मेरी बात करवाई तो परिवादी ने 42 हजार रूपये मांगने और शेष 1 लाख 40 हजार रूपये दिनांक 23.06.2023 को जयपुर आकर लेने के लिए कहा हैं। परिवादी ने श्री रिजवान अहमद के द्वारा बताई गई बातों की ताईद की। इस पर परिवादी को संदिग्धों को दी जाने वाली 42 हजार रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 15.06.2023 को सुबह 07:30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। समस्त कार्यालय स्टाफ एवं पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 15.06.2023 को सुबह 07:30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया। दिनांक 15.06.2023 को समय 07:45 ए.एम. पर परिवादी श्री अमर सिंह व श्री रिजवान अहमद कानि. हाजिर कार्यालय आये। श्री रिजवान अहमद ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द किया। परिवादी श्री अमर सिंह ने बताया कि कल दिनांक 14.06.2023 को शाम करीब 07.00 बजे पुलिस वालों में एक व्यक्ति मेरी कार लेकर लेब में आया था। श्री रिजवान अहमद ने रिकॉर्डर चालू कर मेरे मौजे में छुपा दिया था। इसके बाद वह व्यक्ति मुझे कार में बिठाकर फोर्टीज अस्पताल की तरफ करीब 300 मीटर दूर ले जाकर दूसरे व्यक्ति को गाडी में बिठाकर गलियों में घुमाते हुए अमित

भारद्वाज पेट्रोल पम्प के सामने से पुलिस वाले हवलदार को साथ में लिया था। इन लोगो ने पहले मेरी तलाशी ली, फिर मेरे मोबाईल चेक किये और बन्द करवा दिये। इसके बाद मुझसे पूछा कि पैसो की व्यवस्था हो गई तो मैंने कहा कि 30 हजार रूपये की व्यवस्था हो गई और 12 हजार रूपये की व्यवस्था करनी हैं। इस पर उन्होनें मुझे गाली गलोच की और पैसे की व्यवस्था करने के लिए कहा नही तो गिरफ्तार करने की धमकी दी। इस पर मैंनें मेरी महिला मित्र से 12 हजार रूपये की व्यवस्था कराने के लिए कहा तो उन्होंने मेरा मोबाईल नं. 9929857372 से मेरी महिला मित्र प्रियंका से बात करवाई तो मैंने उसको 12 हजार रूपये की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके बाद मुझे प्रियंका के मकान पास लेकर गये। प्रियंका अपना ए.टी.एम. कार्ड लेकर एस.बी.आई. ए.टी.एम. गिरधर मार्ग में गई परन्तु ए.टी.एम. से रूपये नही निकल पाये। ये लोग मेरे उपर पैसे देने का दबाव डाल रहे थे तो मैं मेरे कहने पर ये लोग करीब आधा घण्टा बाद मुझे मेरे कमरे पर लेकर गये जहां से मैं मेरा ए.टी.एम. कार्ड व सोने की अंगूठी बेचने के लिए लेकर आया था। ये लोग मेरी तलाशी ले रहे थे। इस कारण डर के मारे मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मैंने मेरे कमरे पर ही छोड दिया था। इसके बाद ई.एच.सी.सी. अस्पताल के पास पेट्रोल पम्प से गाडी में 1010 रूपये का पेट्रोल भरवाया था, जिसका भुगतान भी नगद मैंने ही किया था। इसके बाद मुझे मेरी सोने की अंगूठी बिकवाने के लिए पालिका बाजार, कच्ची बस्ती, रातकार शॉपिंग सेन्टर में घुमाया था। रातकार शॉपिंग सेन्टर में केवल एक दुकान खुली मिली थी जिसमें मैं गया तो दुकानदार ने कहा कि हम एक्सचेन्ज करते हैं खरीदते नही हैं। इसके बाद मुझे इधर–उधर घुमाते रहे और करीब 09:30 पी.एम. पर मुझे अमित भारद्वाज पेट्रोल पम्प के पास छोडा तो और मुझे कहा कि 42 हजार रूपये की व्यवस्था कर कल सुबह करीब 10–11 बजे ओके सर का मैसेज कर देना और कहा है कि जैसे ही मैसेज करेगा तो हम आ जायेगें या आपको लोकेशन बता देंगें। तीनों में से हैड कानि. का नाम नवीन कुमार एवं दो अन्य में एक इन्द्रजीत व एक राकेश नाम का आदमी हैं। इस पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को लेपटॉप में लगाकर चलाकर सुना गया तो परिवादी के द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। वॉईस रिकॉर्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर आलमारी में सुरक्षित रखा गया, जिसकी ट्रान्सक्रिप्ट पृथक तैयार किये जाने का निणर्य लिया गया। अब तक की कार्यवाही से संदिग्धों के द्वारा परिवादी को गिरफ्तारी का भय दिखाकर रिश्वत की मांग किया जाना प्रमाणित पाया गया हैं। दिनांक 15.06.2023 को समय 08:45 ए.एम. पर परिवादी श्री अमर सिंह का तलबशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री तपेश पुत्र श्री राजदीप शर्मा, उम्र 37 साल जाति शर्मा, निवासी प्लॉट नं. 10/179, स्वर्णपथ, मानसरोवर, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर एवं श्री दुर्गेश पारीक पुत्र श्री महावीर प्रसाद, उम्र 38 साल जाति ब्राह्मण, निवासी प्लॉट नं. 8ए, गणेश कॉलोनी, खातीपुरा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से परिचय करवाया जाकर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में अवगत कराया जाकर दोनों को कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने के लिए कहा तो दोनों ने अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। दोनों ने प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 08:55 ए.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अमर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशि 42 हजार रूपये पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष अपने पास से पांच पांच सो रूपये के 60 नोट निकाल कर 30 हजार रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस, मांगीलाल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये और बताया कि मेरे पास 30 हजार रूपये की ही व्यवस्था हो पाई हैं। जिनका विवरण फर्द पर अंकित किया गया। इसके बाद उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उसके बाद श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त नम्बरी नोटों कुल 60 नोटों को रखकर उक्त नोटों पर श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री अमर सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री तपेश से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात रिश्वत में दी जाने वाले उक्त 60 नोटों कुल 30 हजार रूपये को परिवादी श्री अमर सिंह की पहनी हुई शर्ट की बांई और की सामने की जेब में रखवाये गये। श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवा कर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवा कर घोल तैयार करवाया, जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दांहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर

धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री अमर सिंह व गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अमर सिंह को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन् उप पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नं. 9414064500 पर अपने मोबाइल से मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथासम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। परिवादी को भी हिदायत की गई कि वह रिश्वत की राशि को नहीं छुये और आरोपी के मांगने पर अपनी जेब से निकालकर देवे तथा यह भी ध्यान रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि को कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्री खेमचंद वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में छोडा गया। परिवादी श्री अमर सिंह को रिश्वती राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर, चलाने व बन्द करने की विधि समझाई गई तथा एक नया मेमोरी कार्ड डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर श्री रिजवान अहमद कानि. नं. 167 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी को रिश्वत देने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। इस कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 09:35 ए.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मांगी लाल, हमराह श्री पुष्पेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक, श्री करण सिंह हैड कानि. नं. 67, श्री रिजवान अहमद कानि. नं. 167, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 519, श्रीराम कानि. नं. 295, श्री हरकेश कुमार कानि. नं. 69, श्री रूपकिशोर कानि नं. 74, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्रीमती राजू देवी म. कानि. नं. 42, मय स्वतन्त्र गवाहान श्री दुर्गेश कुमार एवं श्री तपेश वरिष्ठ मय चालक श्री इन्द्रपाल नं. 618, श्री अमित चालक नं. 529 मय दो सरकारी वाहन एवं प्राईवेट मोटरसाईकिलो से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 10:10 ए.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मांगी लाल, हमराह श्री पुष्पेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक, श्री करण सिंह हैड कानि. नं. 67, श्री रिजवान अहमद कानि. नं. 167, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 519, श्रीराम कानि. नं. 295, श्री हरकेश कुमार कानि. नं. 69, श्री रूपकिशोर कानि नं. 74, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्रीमती राजू देवी म. कानि. नं. 42, मय स्वतन्त्र गवाहान श्री दुर्गेश कुमार एवं श्री तपेश वरिष्ठ मय चालक श्री इन्द्रपाल नं. 618, श्री अमित चालक नं. 529 मय दो सरकारी वाहन एवं प्राईवेट मोटरसाईकिलो से ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर परिवादी की लेब डॉ. लाल पैथलेब गिरधर मार्ग, मालवीय नगर के पास पहुंचकर परिवादी के साथ श्री रिजवान अहमद कानि. को उसकी लेब में भिजवाकर जाप्ते को आस पास मामुर कर मुकीम हुआ। समय 10:18 ए.एम. पर श्री रिजवान अहमद कानि. ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि परिवादी ने अपने मोबाईल से संदिग्ध के वाट्सअप नम्बर पर ओके सर का मैसेज किया है। इसके बाद समय 11.38 ए.एम. पर श्री रिजवान अहमद कानि. ने अवगत कराया कि परिवादी के मोबाईल पर समय 11.37 ए.एम. पर संदिग्ध ने ओके का मैसेज किया हैं। समय 03:11 पी.एम. पर श्री रिजवान अहमद कानि. ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि परिवादी के मोबाईल पर संदिग्ध ने वाट्सअप कॉल कर उसको डब्ल्यू.टी.पी. के सामने बुलाया हैं तथा उसका लाईव लोकेशन मांगा है। समय 03:20 पी.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मांगी लाल, हमराही जाप्ता को डब्ल्यू.टी.पी. के सामने पहुंचने की हिदायत कर रवाना होकर समय 03:25 पी.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मांगी लाल, हमराही जाप्ता के डब्ल्यू.टी.पी. के सामने पहुंचकर मुकीम हुआ। इसी दौरान श्री करण सिंह हैड कानि. ने अवगत कराया कि परिवादी की कार आर.जे. 45 सी.आर. 6138 डब्ल्यू.टी.पी. के पीछे खडी हैं, जिसमें एक व्यक्ति ड्राईवर सीट पर व दूसरा व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठा हैं। इस पर

उस गाडी पर नजर रखी गई। इसी दौरान ड्राईवर सीट पर बैठा व्यक्ति गाडी को अचानक तेज गति से पीछे की सडक से भगा ले गया। समय 03:30 पी.एम. पर श्री रिजवान अहमद कानि. ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि संदिग्ध में से एक व्यक्ति परिवादी श्री अमर सिंह के पास आया और परिवादी को बैठने का ईशारा कर 5 मिनिट में आने की कहकर चला गया। मुझ परिवादी ने वह व्यक्ति नवीन हैड कानि. होना बताया हैं। समय 04:00 पी.एम. पर श्री रिजवान अहमद कानि. ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि संदिग्ध में से दो व्यक्ति परिवादी श्री अमर सिंह की लेब पर आये थे और उसकी गाडी लेब पर खडी कर उसकी चाबी लेब के कर्मचारी श्री रिंकेश को देकर चले गये हैं। रिंकेश ने परिवादी को फोन कर यह बताया हैं। इस पर परिवादी से मिलकर बात की तो परिवादी ने बताया कि संदिग्धों ने अपना वाट्सअप चेट और वाट्सअप डिलीट कर दिया हैं और सारे नम्बर बन्द आ रहे हैं। इस पर परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी ने बताया कि मेरे से रिश्वत मांगने वाले पुलिसकर्मियों को ए.सी.बी. कार्यवाही का शक हो गया हैं। इस का ये लोग मेरे से अब रिश्वत नहीं लेंगें। इस पर समय 04:10 पी.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी जाप्ता एवं गवाहान के साथ रवाना होकर समय 04:15 पी.एम. पर परिवादी की लेब गिरधर मार्ग, मालवीय नगर पहुचा जहां पर परिवादी की लेब के पास परिवादी की कार आर.जे. 45 सी.आर. 6138 खडी मिली। परिवादी कर्मचारी रिंकेश ने बताया कि गाडी में दो व्यक्ति आये थे जिनमें से एक व्यक्ति मुझे गाडी की चाबी देकर गया व दूसरा व्यक्ति सामने की तरफ एक स्वीफ्ट गाडी टेक्सी नम्बर की खडी थी, उसमें जाकर बैठ गया। उसके बाद चाबी देने वाला व्यक्ति भी उसी गाडी में बैठकर चला गया। इसके बाद समय 05:50 पी.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी जाप्ता एवं गवाहान के साथ रवाना होकर समय 06:10 पी.एम. पर ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर आया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 06:20 पी.एम. पर परिवादी श्री अमर सिंह ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में संदिग्ध पुलिस कर्मियों को ए.सी.बी. की ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण अब ट्रेप कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख करते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्वत राशि 30 हजार रूपये को लौटाने का निवेदन किया गया हैं। चूंकि संदिग्ध पुलिस कर्मियों को ए.सी.बी. की ट्रेप कार्यवाही भनक लग चुकी हैं। अब ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं हैं। अतः गवाह श्री तपेश से परिवादी की जेब से रिश्वत में दी जाने वाली राशि निकलवाई जाकर नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर साफ करवाया जाकर नोटों को गिनवाया जाकर 30 हजार रूपये परिवादी श्री अमर सिंह को सुपूर्द कर प्रार्थना पत्र पर रसीद प्राप्त की गई और गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी व गवाहान को रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने हेतु दिनांक 16.06.2023 को समय 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत किया गया। इसके बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक अन्य आवश्यक राजकार्य में व्यस्त रहा। परिवादी श्री अमर सिंह ने आरोपीगण द्वारा उसको साथ लेकर पुलिस थाना कामा के सामने लेकर जाना, जहां पर नवीन कुमार हवलदार का थाने के अन्दर जाना व थोडी देर बाद थाने की गाडी के साथ उसको महेन्द्र की तलाश हेतु भुडाका गांव में लेकर जाने के बारे में बताया। अतः दिनांक 19.06.2023 को इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना कामां जिला भरतपुर से जरिये मोबाईल से सम्पर्क कर दिनांक 13.06.2023 को पुलिस थाना साईबर श्रीगंगानगर से जाप्ते के आने के संबंध में जानकारी चाही तो उसने जरिये वाट्सअप दिनांक 13.06.2023 को रपट संख्या 36 की रोजनामचा की फोटो प्रेषित की, जिसका प्रिन्टआउट लिया जाकर शामिल पत्रावली किया। उक्त रपट नम्बर 36 का अवलोकन किया तो उक्त रपट में श्री नवीन कुमार हैड कानि. नं. 09 मय श्री इन्द्रजीत कानि. नं. 884 व श्री राकेश कानि. नं. 1414 साईबर थाना श्रीगंगानगर से मुकदमा नम्बर 02/2023 धारा 419,420 आई.पी.सी. व धारा 66ए, 66डी आई.टी. एक्ट साईबर थाना श्रीगंगानगर में आने व इमदाद दी जाकर गांव भूडाका रवाना किये जाने का उल्लेख पाया गया। प्रकरण में सम्राट होटल से सांगानेर से आरोपीगण के आने जाने व ठहरने से संबंधित सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं गेस्ट रजिस्टर व आरोपीगण के द्वारा दी गई आई.डी. प्राप्त किया जाना था। अतः दिनांक 19.06.2023 को समय 10:50 ए.एम. को मन् उप पुलिस अधीक्षक मांगी लाल मय श्रीमती राजू देवी म. कानि. नं. 42 के प्राईवेट वाहन से रवाना होकर समय 11:15 ए.एम. पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मांगी लाल मय श्रीमती राजू देवी म. कानि. नं. 42 के सम्राट होटल एवं तैयार डी.वी.डी. सी.सी.टी.वी. केमरा फुटेज थाना सांगानेर, फ्लाई ओवर के पास, रोडवेज बुकिंग के पास टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर पहुंचा, जहां पर तलबशुदा परिवादी श्री अमर सिंह हाजिर आया। श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व. श्री सांवल राम जाति यादव उम्र 47 साल निवासी 247, पार्श्वनाथ कॉलोनी, टर्मिनल 1 के सामने, सांगानेर जयपुर हाल मालिक सम्राट होटल, सांगानेर, फ्लाई ओवर के पास, रोडवेज बुकिंग के पास टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर ने सम्राट होटल का मूल गेस्ट रजिस्टर पेश किया। उक्त रजिस्टर लाल जिल्द में जिसके उपर अंग्रेजी में Guest Register एवं हिन्दी में अतिथि पंजिका लिखा हैं। उक्त रजिस्टर का

अवलोकन किया तो उसमें दिनांक 01.06.2023 से क्र.सं. 101 से क्र.सं. 187 दिनांक 18.06.2023 तक होटल में आये अतिथियों का इन्द्राज हैं। उक्त रजिस्टर के क्र.सं. 160 दिनांक 13.06.2023 में समय 11:55 पर कमरा नं. 204 में Naveen, Ravesh, Inderjeet, Amra chand के नाम का इन्द्राज हैं। वाहन संख्या RJ 45 CR 6138, मोबाईल नं. 9460969240, आई.डी. संख्या 2022/2732, यात्रा का उदेश्य Personal, पता 198, ड्रीम लेण्ड कॉलोनी, हनुमानगढ, जंक्शन राजस्थान व चेक आउट का समय 11:30 ए.एम. दिनांक 14.06.2023 अंकित हैं। इसके अलावा श्री नवीन कुमार पुत्र श्री लाल चन्द, निवासी प्लॉट नं. 198, ड्रीम लेण्ड कॉलोनी, हनुमानगढ, जंक्शन, हाल हैड कानि. नं. 27 के नाम का पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण के द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या 2022/2732 जारी दिनांक 01.07.2022 की फोटो प्रति पेश की। उक्त फोटो प्रति पर क्र. सं. 1 पर अंग्रेजी में Naveen, क्र. सं. 2 पर अंग्रेजी में Ravesh, क्र. सं. 3 पर अंग्रेजी में INDER JEET एवं क्र. सं. 4 पर अंग्रेजी में AMRA Chand चेक इन का समय दिनांक 13.06.2023 समय 11:55 पी.एम., चेक ऑउट का समय दिनांक 14.06.2023 समय 11:30 ए.एम. रूम नम्बर 204, सीरियल नम्बर 160 व नवीन कुमार के हस्ताक्षर के नीचे मोबाईल नम्बर 9460969240 एवं वाहन के नम्बर RJ 45 CR 6138 अंकित हैं। अतः उक्त गेस्ट रजिस्टर मूल के प्रविष्टि के प्रथम पृष्ठ एवं अन्तिम पृष्ठ पर एवं पहचान पत्र की फोटो प्रति पर श्री बलबीर सिंह एवं दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर गेस्ट रजिस्टर व पहचान पत्र की फोटो प्रति को प्रकरण में बतौर वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके अलावा उक्त होटल में लगे सी.सी.टी.वी. केमरों की डी.वी.आर. को चलाकर चेक किया तो होटल के सामने बाहर लगे हुए केमरा संख्या 1 व 9 व कॉउन्टर पर लगे केमरा संख्या 8 में दिनांक 14.06.2023 को समय 12:42:20 ए.एम. पर परिवादी की गाडी होटल के सामने आकर रूकती हुई और उसके बाद उक्त गाडी में से परिवादी व तीनों आरोपी उक्त वाहन में से उतरकर अन्दर आते हुए व समय 12:51 ए.एम. पर सामने लेकर रूम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दिनांक 14.06.2023 को समय 06:02 ए.एम. पर आरोपी श्री नवीन कुमार बाहर जाता हुआ व परिवादी की कार की डिग्गी खोलकर पुलिस की वर्दी लेकर वापस आता हुआ तथा समय 06:08 ए. एम. पर परिवादी एवं तीनों आरोपी होटल से बाहर जाते हुए व समय 06:10:35 ए.एम. पर वापस परिवादी की गाडी से जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद समय 10:00 ए.एम. पर तीनों आरोपी कार से वापस आते हुए एवं समय 10:01:35 ए.एम. पर होटल के अन्दर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पश्चात् समय 11:24 ए.एम. पर तीनों आरोपी कमरों से नीचे उतरकर कार के पास जाते हुए एवं समय 11:26 ए.एम. पर होटल से चेक ऑउट कर परिवादी की कार में बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उक्त वीडियों फुटेज में नजर आ रहे चारों व्यक्तियों में अपनी स्वयं एवं आरोपी श्री नवीन कुमार हैड कानि., श्री राकेश कानि. एवं श्री इन्द्रजीत कानि. की पहचान परिवादी श्री अमर सिंह ने की। अतः केमरा संख्या 1 व 9 व कॉउन्टर पर लगे केमरा संख्या 8 की दिनांक 14.06.2023 की समय 12:40 ए.एम से समय 12:55 ए.एम. तक, समय 06:00 ए.एम. से समय 06:12 ए.एम तक, समय 09:58 ए.एम. से समय 10:05 ए.एम. तक एवं समय 11:20 ए.एम. से समय 11:30 ए.एम. तक की सी. सी.टी.वी. फुटेज को डी.वी.आर. से एक 32 जी.बी. के मेमोरी कार्ड SunDisk Ultra में Samrat Hotel के नाम के फोल्डर में सेव कर उसको लेपटॉप में चलाकर चेक किया तो उपरोक्त समय की सी.सी. टी.वी. फुटेज सेव होनी पाई गई। इसके पश्चात् उक्त मेमोरी कार्ड में सेव सी.सी.टी.वी. फुटेज को लेपटॉप की सहायता से बारी–बारी से पांच डी.वी.डी. में बर्न किया जाकर पांचों डी.वी.डी. को बारी–बारी से लेपटॉप में चलाकर चेक किया तो उपरोक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज सेव होनी पाई गई। इसके पश्चात् पांचों डी.वी.डी. पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पांचों डी.वी.डी. पर क्रमशः मार्का–A, मार्का–B, मार्का–C, मार्का–D, मार्का–E अंकित किया जाकर मार्का–A डी.वी.डी. को एक डी.वी.डी. कंवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर किया जाकर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली पर उपरोक्तानुसार मार्का अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया व मार्का–B,मार्का–C, मार्का–D, मार्का–E को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इसके पश्चात् 32 जी.बी. के मेमोरी कार्ड SunDisk Ultra को मेमोरी कार्ड के कंवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर किया जाकर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली पर मार्का–F अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इस कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 08:35 पी.एम.पर परिवादी श्री अमर सिंह को वार्ताओ का वार्ता रूपान्तरण तैयार करने हेतु दिनांक 20.06.2023 को समय 10:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर मय् उप पुलिस अधीक्षक मांगी लाल मय श्रीमती राजू देवी म. कानि. नं. 42 के मय प्राईवेट वाहन के रवाना होकर समय 09:00 पी.एम. पर हाजिर ए.सी.बी. मुख्यालय आया। मालखाना बन्द हो चुका था। अतः जप्तशुदा वजह सबूत को आलमारी में सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात् दिनांक 20.06.2023 को समय 11:00 ए.एम. पर रिवादी श्री अमर सिंह व

तलबशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री दिनेशचन्द शर्मा, उम्र 39 साल, जाति ब्राह्मण, निवासी प्लॉट नं. 115, राधिका विहार, जामडोली आगरा रोड, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, आयोजना द्वितीय शाखा, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर व श्री अभिषेक सैनी पुत्र श्री रतन लाल सैनी, उम्र 31 साल जाति माली, निवासी प्लॉट नम्बर 141, जीणमाता नगर, कालवाड रोड, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, राजस्व प्रथम शाखा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर हाजिर कार्यालय आये। उपरोक्त गवाहान एवं परिवादी श्री अमर सिंह के समक्ष ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 14.06.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री अमर सिंह को दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर संख्या 2423985 में लगे 32 जी.बी. के मेमोरी कार्ड SunDisk Ultra में परिवादी श्री अमर सिंह एवं आरोपीगण के बीच परिवादी की कार में रिश्वत के संबंध में हुई रिकॉर्ड वार्ता का वार्ता रूपान्तरण तैयार करने हेतु मेमोरी कार्ड को लेपटॉप में लगाकर मेमोरी कार्ड में PRIVATE फोल्डर में, SONY फोल्डर में, REC-FILE फोल्डर में, FOLDER01 फोल्डर में, 230614-1906 नाम की ऑडियों फाईल में रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया, जो निम्नानुसार हैं:- उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री अमर सिंह ने अपनी, आरोपीगण श्री नवीन कुमार, श्री राकेश एवं श्री इन्द्रजीत की आवाज की पहचान की। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 15.06.2023 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री अमर सिंह को दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर संख्या 2423985 में लगे 32 जी.बी. के मेमोरी कार्ड SunDisk Ultra में परिवादी श्री अमर सिंह एवं आरोपीगण के बीच रिश्वत के संबंध में हुई रिकॉर्ड वार्ता का वार्ता रूपान्तरण तैयार करने हेतु मेमोरी कार्ड को लेपटॉप में लगाकर मेमोरी कार्ड में PRIVATE फोल्डर में, SONY फोल्डर में, REC-FILE फोल्डर में, FOLDER01 फोल्डर में, 230615-1244 एवं 230615-1504 नाम की ऑडियों फाईल में रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर 230615-1504 नाम की ऑडियों फाईल में रिकॉर्ड वार्ता का वार्ता रूपान्तरण तैयार किया गया। इसके पश्चात् रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता 230614-1906 नाम की ऑडियों फाईल एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड वार्ता से संबंधित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता 230615-1244 एवं 230615-1504 नाम की ऑडियों फाईलो को लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से पांच डी.वी.डी. में बर्न किया जाकर पांचों डी.वी.डी. को बारी-बारी से लेपटॉप में चलाकर चेक किया तो उपरोक्त ऑडियों फाईल सेव होनी पाई गई। इसके पश्चात् पांचों डी.वी.डी. पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पांचों डी.वी.डी. पर क्रमशः मार्का-G, मार्का-G-1, मार्का-G-2, मार्का-G-3, मार्का-G-4 अंकित किया जाकर मार्का-G डी.वी. डी. को एक डी.वी.डी. कंवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर किया जाकर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली पर उपरोक्तानुसार मार्का अंकित कर कब्जा ए. सी.बी. लिया गया व मार्का-B,मार्का-C, मार्का-D, मार्का-E को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इसके पश्चात् 32 जी.बी. के रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित मेमोरी कार्ड SunDisk Ultra के उपर 1 व ट्रेप कार्यवाही के दौरान वार्ता से संबंधित मेमोरी कार्ड के उपर 2 अंकित कर दोनों मेमोरी कार्ड को एक माचिस की खाली डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर किया जाकर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली पर मार्का-H अंकित कर कब्जा ए. सी.बी. लिया गया। इसके अलावा परिवादी श्री अमर सिंह के मोबाईल में आरोपी श्री नवीन हैड कानि. का वाट्सअप मोबाईल नम्बर +918504898267 Pk Bk के नाम से सेव होना पाया गया। जिसमें आरोपी श्री नवीन से परिवादी की हुई चेट के स्क्रीनशॉट के तीन पेज का प्रिन्टआउट लिये जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा पुलिस लिये गये। इसके अलावा परिवादी श्री अमर सिंह के मोबाईल में आरोपी श्री राकेश कानि. का वाट्सअप मोबाईल नम्बर +919649889290 Rakesh Dr Lal के नाम से सेव होना पाया गया। जिसके स्क्रीनशॉट का एक पेज का प्रिन्टआउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा पुलिस लिये गये। इस कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 22.06.2023 को समय 02:00 पी.एम. पर परिवादी श्री अमर सिंह तलबशुदा हाजिर आया, जिसने कर्नाटका बैंक, ई-55, प्रथम तल, प्रेम कृपा, सिद्धार्थ नगर, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर में अपना बचत खाता संख्या 6482500100314101 होना बताया, जिसमें से दिनांक 14.06.2023 को सुबह करीब 08 बजे कर्नाटका बैंक ई 55, प्रथम तल, प्रेम कृपा, सिद्धार्थ नगर, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर स्थित ए.टी.एम. से 20,000 रूपये निकालकर आरोपीगण को देना बताया। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, ए 415, रातकार शॉपिंग के सामने, मालवीय नगर, जयपुर में स्थित बचत खाता संख्या 2331000100257556 होना बताया तथा उक्त शाखा में स्थित ए.टी.एम. से दिनांक 14.06.2023 को सुबह करीब 08:25 बजे तीन बार में 10-10 हजार रूपये तीन बार तथा 8 हजार रूपये एक बार में निकाल कर आरोपीगण को देना बताया। इसके अलावा परिवादी श्री अमर सिंह ने अपनी कार आर.जे. 45 सी.आर. 6138 की आर.सी. की फोटोप्रति पेश की जिसको शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में अब तक की कार्यवाही से श्री नवीन कुमार हैड कानि. नं. 09, श्री इन्द्रजीत कानि. नं. 884 एवं श्री राकेश कानि. नं. 1414 साईबर थाना श्रीगंगानगर के द्वारा परिवादी श्री अमर सिंह को मुकदमा नम्बर 02/2023 धारा 419,420 आई.पी.सी. व धारा 66ए, 66डी आई.टी. एक्ट साईबर थाना श्रीगंगानगर में गिरफ्तार करने का भय दिखाकर 2 लाख 40 हजार रूपये की अनुचित लाभ के रूप में मांग कर परिवादी से दिनांक 14.06.2023 को 58 हजार रूपये प्राप्त करना एवं शेष रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए परिवादी की स्वीफ्ट कार आर.जे. 45 सी.आर. 6138 को अपने कब्जे में लेकर 1 लाख 82 हजार रूपये में से 42 हजार रूपये मांग कर दिनांक 15.06.2023 को प्राप्त करने का प्रयास किया गया एवं शेष रिश्वत राशि 1 लाख 40 हजार रूपये दिनांक 23.06.2023 को प्राप्त करना तय किया गया। इसके अलावा परिवादी श्री अमर सिंह से दिनांक 13.06.2023 उनके सम्राट होटल सांगानेर में को ठहरने के कमरे का 1500 रूपये एवं उनके द्वारा परिवादी की कार को काम में लिये जाने के दौरान पेट्रोल का भुगतान भी करवाया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से श्री नवीन कुमार हैड कानि. नं. 09, श्री इन्द्रजीत कानि. नं. 884 एवं श्री राकेश कानि. नं. 1414 साईबर थाना श्रीगंगानगर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 384, 120 बी आई.पी.सी. प्रमाणित पाया गया हैं। अतः श्री नवीन कुमार हैड कानि. नं. 09, श्री इन्द्रजीत कानि. नं. 884 एवं श्री राकेश कानि. नं. 1414 साईबर थाना श्रीगंगानगर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय को प्रेषित है।

भवदीय

01/8/2023

(मांगीलाल)
उप पुलिस अधीक्षक,
विशेष यूनिट– द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल, उप अधीक्षक, विशेष यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 384 व 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री नवीन कुमार हैड कानि. नम्बर 09, 2. श्री इन्द्रजीत कानि. नम्बर 884, एवं 3. श्री राकेश, कानि. नम्बर 1414, साईबर थाना, श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 207/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2467-70 दिनांक 01.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर-क्रम संख्या-1।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।